

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या: 82/2024/सरफैसी

एक्सिस बैंक लिमिटेड पता-शान्ति टॉवर, बी-115, हवा सडक, सिविल लाईन, जयपुर  
302006 राजस्थान

.....प्रार्थी

- बनाम
1. श्रीमती संध्या नागौरी पत्नी श्री पंकज नागौरी निवासी- फ्लेट न. ओसी 5/601, टावर 5 आरेंज काउन्टी, अहिंसा खण्ड-1, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। एवं 320, वार्ड न. 27, तहसील- गिर्वा, उदयपुर। एवं नकक्षत्र ग्रुप, इन्टीग्रेटेड लर्निंग, ई-113, सेक्टर-6, नोएडा उत्तर प्रदेश।
  2. पंकज नागौरी पुत्र श्री कन्हैयालाल नागौरी निवासी- फ्लेट न. ओसी 5/601, टावर 5 आरेंज काउन्टी, अहिंसा खण्ड-1, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। एवं 320, वार्ड न. 27, तहसील- गिर्वा, उदयपुर।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री आशुतोष पुरी गोस्वामी अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 27/05/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 35,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (आवासीय सम्पत्ति भूखण्ड न. 320, हिरणमगरी योजना, सेक्टर न. 6, पानेरियो की मादडी, उदयपुर, राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 1470 वर्गफीट है, उक्त भूखण्ड की चारो सीमाओ में पूर्व की ओर भूखण्ड सं. 304, पश्चिम की ओर आम रास्ता, उत्तर की ओर भूखण्ड सं. 319 व दक्षिण की ओर भूखण्ड सं. 324 स्थित है, उक्त सम्पत्ति ऋणी संध्या नागौरी पत्नी पंकज नागौरी व सहऋणी पंकज नागौरी पुत्र कन्हैयालाल नागौरी के नाम से है) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 13.07.2023 तक 32,26,982/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

M  
जिला कलक्टर  
उदयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 35,00,000/- रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 13.07.2023 तक 32,26,982/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (आवासीय सम्पत्ति भूखण्ड न. 320, हिरणमगरी योजना, सेक्टर न. 6, पानेरियो की मादडी, उदयपुर, राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 1470 वर्गफीट है, उक्त भूखण्ड की चारो सीमाओ में पूर्व की ओर भूखण्ड सं. 304, पश्चिम की ओर आम रास्ता, उत्तर की ओर भूखण्ड सं. 319 व दक्षिण की ओर भूखण्ड सं. 324 स्थित है, उक्त सम्पत्ति ऋणी संख्या नागौरी पत्नी पंकज नागौरी व सहऋणी पंकज नागौरी पुत्र कन्हैयालाल नागौरी के नाम से है) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(M)  
(अरविन्द कुमार पोसवाल )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर